HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL
TENDER NOTICE

Sealed tender are invited for the printing and supply of pamphlets (size 9"

x 11" in 58 GSM all brand white paper). Interested parties may receive the terms &

conditions and sample of printing of pamphlets form Admin. B Section of High Court of

Uttarakhand, Nainital on any working day in the office hours from 26.12.2013 to

09.01.2014. The details are also available in our website

www.highcourtofuttarakhand.gov.in.

The tender alongwith earnest money must reach in the office of Registrar

General by 2.00 p.m. on or before 09.01.2014 and tenders will be opened at 3.00 p.m.

on the same day. The tender received beyond the scheduled time shall be summarily

rejected. The undersigned reserves right to reject any tender without assigning any

reason.

Sd/-

Dated: December 21, 2013.

(D.P. Gairola)

Registrar General

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

Tender Notice

Sealed tender are invited for the printing and supply of 2,31,000 Copies of (both side printed) pamphlets Size- 9"x11" (all brand 58 GSM white paper).

The Tender may be submitted in Admin. B Section of High Court of Uttarakhand, Nainital on any working day during office hours from 26.12.2013 till 09.01.2014 upto 2.00 p.m. and tenders will be opened at 3.00 p.m. on the same day. The sample to be printed may be seen in Admin. B Section or may be downloaded from website www.highcourtofuttarakhand.gov.in. The undersigned reserves the right to reject any tender without assigning any reason.

Terms and Conditions:

- 1. The Tender should be accompanied by Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 5,000/- (Rs. Five thousand only) in the form of Account Payee Demand Draft/ Fixed Deposit Receipt of unconditional Bank Guarantee in favour of Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital and without it the Tender will not be considered. This shall be returnable to the firm/firms, in case its/their tender is not accepted. But the EMD deposited by the firm, of which the tender is finally accepted, shall be retained as security for the firm and shall be refundable after complete supply of item.
- 2. The firm shall have to supply the requisite item within a period of 15 days from the date of order. In case of failure, the Registrar General shall have a right to take appropriate action.
- 3. The firm shall have to submit a sample of pamphlets along with the Tender document.
- 4. If item supplied by the firm is not found up to the mark, the item will not be accepted and supplier shall be liable to pay 5% of cost of item as damage and it may be adjusted from the security amount or shall be recovered.
- 5. The firm will have to supply the items (pamphlets) at High Court of Uttarakhand, Nainital on its own expenses, in bundles of 2,000 each.
- 6. Tenders submitted by the persons or firms who are not registered with Commercial Tax Department shall not be considered.
- 7. The firms should mention the rates excluding VAT in their respective tenders.
- 8. The Court reserves its right to cancel any tender at any time without prior notice or assigning any reason.
- 9. All disputes shall be subject to jurisdiction at Nainital.

Sd/-

Dated: December 21, 2013. (D.P. Gairola)
Registrar General



उच्च न्यायालय नैनीताल में नि:शुल्क कानूनी सहायता

- उच्च न्यायालय विधिक सेवा सिमित द्वारा उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में लिम्बत मामलों में या नया मामला दायर करने हेतु निःशुल्क विधिक सहायता के अतिरिक्त निःशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) एवं वाद का खर्चा भी विधिक सेवा सिमित द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
- उच्च न्यायालय विधिक सेवा सिमित द्वारा उच्च न्यायालय के मामलों हेतु समय—समय पर उच्च न्यायालय पिरसर में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। जहां वार्ता, मध्यस्थता और समझौते द्वारा मामलों के निस्तारण का प्रयास किया जाता है।
- निःशुल्क विधिक सहायता के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैं :--
- क— 60 वर्ष से कम उम्र के ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1,00,000/— (रु० एक लाख) से कम हो।

अथवा ख – 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।

अथवा ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक ।

अथवा घ- सभी महिलायें एवं बच्चे ।

अथवा ड.- भूतपूर्व सैनिक ।

अथवा च- जैल / कारगार / संरक्षण गृह / किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति।

अथवा छ- सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ।

अथवा ज- संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार / बेगार के शिकार व्यक्ति।

अथवा झ- बहुविनाश जातीँय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प एवं औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति ।

अथवा ज- हिजड़ा समुदाय।

अथवा ट- औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर ।

नोट – क्रम संख्या ख से ट में वर्णित व्यक्तियों के लिए वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए क्या करें और कहाँ सम्पर्क करें :-

- ▶ निशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रम के पात्र व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप— I (पृष्ठ भाग में मुद्रित) को भरकर सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा सिमित उच्च न्यायालय, परिसर, नैनीताल को भेज सकता है। पृष्ठ भाग में मुद्रित प्रारूप सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा सिमित, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल या सम्बन्धित जिले के जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या सिविल जज (विष्ठ खण्ड)/मुख्य न्यायिक मिजरट्टे/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तहसील में स्थित तहसील विधिक सेवा सिमित के कार्यालयों से किसी भी कार्य दिवस में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं)। आवेदन पृष्ठ भाग में मुद्रित, प्रारूप में भरकर सीधे सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा सिनित, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल को भेज सकते हैं।
- कोई आवेदक अपनी शिकायत जिसके लिए वह विधिक सेवाओं को चाहता हैं, संक्षिप्त रूप में पृष्ठ भाग में मुदित प्रपत्र में आवेदन दे सकेगा या पृथक से भी लिखकर भेज सकता है।

निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार होने का सब्त-?

- 1— आवेदक का एक शपथपत्र कि वह निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार व्यक्तियों के प्रवर्गों के अधीन आता है प्रस्तुत करेगा जो कि साधारणतया पर्याप्त होगा। यह सादे कागज में स्वहस्ताक्षरित भी हो सकता है।
 - 2— शपथ—पत्र को, यथास्थिति, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक, अधिवक्ता, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्यए स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि/ग्राम प्रधाान, राजपत्रित अधिकारी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय के अध्यापक में से किसी एक के समक्ष हस्ताक्षर किया जा सकेगा।
 - 3-- शपथ-पत्र को सादा कागज पर तैयार किया जा सकेगा और उस पर अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति की मुहर होगी।

(उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा जनहित में प्रसारित)

डी. पी. गैरोला सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति उत्तराखण्ड नैनीताल दूरमाष : 05942—232085 न्यायमूर्ति वी०के० बिष्ट अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति उत्तराखण्ड, नैनीताल

उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखण्ड

प्रारूप - 1

विधिक सेवा के लिए आवेदन का प्रारूप

- 1. नाम
- 2. स्थायी पता
- 3. पत्र व्यवहार का पता
- टेलीफोन संo, ईमेल आईडी, यदि कोई हो
- 5. क्या आवेदक रा०वि०से०प्रा० उत्तराखण्ड के नियम—16 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आता है (कृपया श्रेणी अंकित करें जैसे 60 साल से अधिक नागरिक या अनुसूचित जाति आदि)
- 6. आवेदक की मासिक आय
- क्या आय/अर्हता के समर्थन में शपथ पत्र/ सबूत प्रस्तुत किया गया है
- 8. विधिक सहायता की प्रकृति या सलाह अपेक्षित है
 - (1) नया मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं हाँ / नहीं
 - (2) लम्बित मुकदमे में कानूनी सहायता / वकील चाहते हैं हाँ / नहीं
 - (3) विधिक सलाह चाहते हैं (विवरण लिखें)
- मामले का संक्षिप्त विवरण, यदि न्यायालय आधारित विधिक सेवाएं अपेक्षित हैं।
 (मामले का विवरण अलग से लिखकर भी संलग्न कर सकते हैं।)

स्थान :

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर